कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी,एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक–री –1/भू. अ./2021 719 खण्डवा, दिनांक–18.2.2021

प्रति.

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय– "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की धारा–11 अतंर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का राजपत्र मे प्रकाशन होने बाबत्। प्रकरण कमांक 0013/अ–82/20–21 ग्राम जावर तहसील खण्डवा

—00—

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की धारा–11 अतंर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग–1 मे होना हैं। कलेक्टर एवं समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित धारा–11 अतंर्गत प्रारंभिक अधिसूचना की दो प्रतियां आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र मे शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

(डॉ.ममता खेड़े)
अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन–अधिकारी खण्डवा

पृ.क्रमांक री –1/भू. अ./2021 725 खण्डवा, दिनांक–18.2.2021

प्रतिलिपि–

1. संचालक, जन संपर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल की ओर धारा–11 अतंर्गत प्रारंभिक अधिसूचना की चार प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र मे पढे जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रो मे इनका प्रकाशन करवाकर इसकी एक–एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

2. कार्यपालन यंत्री नर्मदा संभाग कमांक–25, नर्मदा नगर की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा गजट प्रकाशन प्रति एवं दो समाचार पत्र प्रकाशन प्रतियां संकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे। समाचार पत्र प्रकाशन व्यय कार्यपालन यंत्री नर्मदा संभाग कमांक–25, नर्मदा नगर व्दारा वहन किया जावेगा ।

3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित धारा–11 अतंर्गत प्रारंभिक अधिसूचना को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

4. तहसीलदार खण्डवा की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक–एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें

1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड 2. उप–खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
3. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड 4. ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर
5. ग्राम जावर की चौपाल पर

(डॉ.ममता खेड़े)
अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन–अधिकारी खण्डवा

कार्यालय– कलेक्टर जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार,
म.प्र.शासन,राजस्व विभाग
//प्रारंभिक अधिसूचना//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पूनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक–30 सन् 2013) की धारा 11(1) के अन्तर्गत

क्रमांक/ 0013 /भू–अर्जन/2021 खण्डवा, दिनांक 15 –02–2021

चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मूख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित जावर माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 12.83 कि.मी. पर पम्पहाऊस नम्बर–02 के निर्माण एवं उस पर आवागमन के लिये पंहुच मार्ग के निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय–2 (अ) की धारा–4 – सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबंधो से छुट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

//अनुसूची//

भूमि का वर्णन				धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
01	02	03	04	05	06
खण्डवा	खण्डवा	जावर	1.047 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–25, नर्मदानगर, जिला खंडवा	जावर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 12.83 कि.मी. पर पम्पहाऊस नम्बर–02 के निर्माण एवं उस पर आवागमन के लिये पंहुच मार्ग के निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु

नोट :– भूमि का नक्शा(प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, खंडवा एवं **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक– 25, नर्मदानगर, जिला–खण्डवा** के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनय द्विवेदी)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग,
जिला– खण्डवा (म.प्र.)